प्रार्थी
भूराराम पुत्र नवाजी पुरोहित आयु 71 वर्ष
पेशा खेती निवासी मोदीयों की गली बरलुट
तहसील सिरोही जिला सिरोही

बनाम

अप्रार्थी
राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार सिरोही

उपस्थित :–
1–प्रार्थी की ओर से वकील श्री नगेन्द्रकुमार मेडतियाँ
2–अप्रार्थी स्टेट तह.सिरोही की ओर से पैरोकार सरकार (तहसीलदार सिरोही)

रा.प्रा.पत्र अर्न्तगत धारा 136 राज.भू राजस्व अधिनियम 1956 के तहत
वास्ते राजस्व रेकर्ड इन्द्राजात दुरूस्ती करने हेतु

आदेश

दिनांक 28–10–2020

प्रार्थी ने जरिये वकील ने यह राजस्व प्रार्थनापत्र अर्न्तगत धारा 136 राज.भू.राजस्व अधिनियम 1956 तहत विरूद्व अप्रार्थी स्टेट तहसीलदार सिरोही का वास्ते राजस्व रेकर्ड मे इन्द्राजात दुरूस्ती करवाने का इस न्यायालय दि 27–8–2020 को पेश किया जिसका प्रार्थनापत्र मे संक्षेप मे तथ्यात्मक विवरण इस प्रकार है कि प्रार्थी ने अपने उ प्रार्थनापत्र के माध्यम से यह निवेदन किया कि प्रार्थी के खातेदारी कब्जे काश्त की कृषि आराजी मौजा बरलुट पट हल्का बरलुट मे आई हुई है जिसके खाता नंबर 205, 206 ,434 ,435 तथा 594 है। प्रार्थी के उक्त आिरांजी के राज अभिलेख जमाबंदी मे प्रार्थी का नाम अलग अलग दर्ज है जिससे प्रार्थी को भारी परेशानी का सामना करना पड रहा प्रार्थी के बचपन मे घर का नाम "भूरमल " था तथा रेकर्ड मे नाम "भूराराम" है। प्रार्थी को बचपन मे भूरीया के नाम भी बुलाते थे । उक्त सभी नाम प्रार्थी के पहचान संबंधी समसत दस्तावेज निर्वाचन पहचानकार्ड ,आधार कार्ड ,बैंक पास बुक तथा राशनकार्ड आदि सभी मे प्रार्थी का नाम "भूराराम" पुत्र नवाजी" दर्ज है। अतः प्रार्थी का प्रार्थना स्वीकार फरमाया जाकर प्रार्थी के उक्त खातों की खातेदारी भूमि के राजस्व अभिलेख जमाबंदी मे दर्ज अपने नाम "भूरि "भूरमल" "भूरा" के स्थान पर "भूराराम "दुरूस्त किये जाने के आदेश प्रदान करावें ।

विचारण प्रकरण मे इस न्यायालय मे सुनवाई पेशी दिनांक 13–1–2020 को अप्रार्थी स्टेट तहसील सिरोही की ओर से भू.अ.नि. बरलुट ने मार्फत तहसीलदार सिरोही के आज दिनांक 27–10–2020 को इस न्यायालय ने जवाब पेश कर कथन किया कि ग्राम बरलुट के खाता संख्या 205 ,206 मे भूरीया पुत्र नवा व खाता संख्या 434 ,ख संख्या 435 मे भूरमल पुत्र नवाजी व खाता संख्या 594 मे भूरा पुत्र नवा के स्थान पर भूराराम पुत्र नवाजी जाति पुरो किया जाना उचित है एवं उपरोक्त खातों मे प्रार्थी एक ही व्यक्ति है। अतः इस सम्बन्ध मे प्रार्थी द्वारा सबूत के आधारकार्ड,पहचान पत्र ,गैस की पासबुक मौजा बरलुट की जमाबंदीयॉ संवत 2071–2074 की प्रतियॉ व बैंक पासबुक प्रतियॉ ईत्यादि दस्तावेज की स्वप्रमाणित छाया प्रतियॉं पेश की है।

इस न्यायालय मे आज दिनांक 27–10–2020 को विचारण प्रार्थनापत्र पर वकील प्रार्थी व पैरो सरकार द्वारा अंतिम बहस करने से अंतिम बहस सुनी गई।

हमने विचारण प्रकरण मे प्रार्थी के प्रार्थनापत्र व प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत उक्त दस्तावेजात प्रतियों व भू.अ बरलुट मार्फत जवाब तहसीलदार,सिरोही का गहनतापूवक अवलोकन कर उस पर मनन किया तथा वकील प्रार्थ पैरोकार सरकार की अंतिम बहस सुनकर उस पर मनन किया । विचारण सम्पूर्ण प्रकरण के विवेचन के उपरान्त यह कि उपरोक्त राजस्व रेकर्ड मे मौजा बरलुट के खाता संख्या 205 ,206 ,434 ,435 ,तथा 594 प्रार्थी भूरीयॉ पुत्र नव खाता संख्या 434 ,435 मे भूरमल पुत्र नवाजी वखाता संख्या 594 मे भूरा पुत्र नवा के स्थान पर भूराराम पुत्र नवाजी ज पुरोहित किया जाना उचित है। उपरोक्तानुसार राजस्व रेकर्ड मे हुई त्रुटि लिपिकिय त्रुटि की परिभाषा मे आने उपरोक्तानुसार राजस्व रेकर्ड दुरूस्त किया जाना न्यायहित मे आवश्यक है। अतः उपरोक्त सभी के आधार पर प्रार्थी प्रार्थनापत्र अर्न्तगत धारा 136 एल.आर.एक्ट 1956 के तहत विरूद्व अप्रार्थी स्टेट तहसीलदार सिरोही का वास्ते रा रेकर्ड मे दुरूस्ती करवाने का स्वीकार योग्य होने से स्वीकार किया जाता है तथा तहसीलदार सिरोही (भूमिधारी अधि को आदेश दिया जाता है कि उपरोक्त राजस्व रेकर्ड मे मौजा बरलुट के खाता संख्या 205 ,206 ,434 ,435 ,तथा प्रार्थी भूरीयॉ पुत्र नवा व खाता संख्या 434 ,435 मे भूरमल पुत्र नवाजी वखाता संख्या 594 मे भूरा पुत्र नवा के स्थान भूराराम पुत्र नवाजी जाति पुरोहित वर्तमान जमाबंदी मे दर्ज कर जमाबंदी अपडेट कर पालना से इस न्यायालय को अ करावें । आदेश सरे ईजलास सुनाया गया । पत्रावली ... सुमार होकर नंबर से कम हो ।

Signature Not Verified
Digitally signed by Hansmukh Kumar
Date: 2021.08.10 14:51:56 IST
Reason: SelfAttested

लैण्ड रेकर्ड ओफिसर(एस.डी.अ
सिरोही
उपखण्ड अधिकारी
सिरोही (राज.)

उपरोक्त निर्णय आज दिनांक 28–10–2020 को मेरे हस्ताक्षर,पदमुद्रा व न्यायालय की गोल मुहा जारी किया गया ।

लैण्ड रेकर्ड ओफिसर(एस.डी
सिरोही
उपखण्ड अधिकारी
सिरोही (राज.)